न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 50/2024 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. नाथू पुत्र रामसहाय
2. हरिनारायण पुत्र रामसहाय
3. रामखिलाडी पुत्र रामसहाय
4. बद्रीनारायण पुत्र शंकर
5. प्रभूनारायण पुत्र शंकर
6. जगन्नाथ पुत्र शंकर
7. हरफूल पुत्र शंकर

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मलवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्यारसी पत्नि स्व.देव्या उर्फ देवीराम
2. रामधन पुत्र स्व.देव्या उर्फ देवीराम
   जाति मीणा निवासी ग्राम मलवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
3. सुनीता पुत्री देव्या उर्फ देवीराम पत्नि रामप्रताप जाति मीना निवासी ग्राम झर की ढाणी ढोलकी तह0 बस्सी
4. अनीता पुत्री देव्या उर्फ देवीराम पत्नि रामप्रताप जाति मीना निवासी ग्राम झर की ढाणी ढोलकी तह0 बस्सी
5. बद्रीप्रसाद मीना उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरुद्ध उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान पीठासीन अधिकारी बद्रीप्रसाद मीना, प्रकरण उनवानी देव्या बनाम नाथू आदि दावा मुकदमा नंबर 171/2015 आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.05.2024

उपस्थित : 1. श्री श्रीराम मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

—:: निर्णय ::— दिनांक: 24.07.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान में विचाराधीन वाद उनवानी देव्या बनाम नाथू वगै0 मुकदमा नं0 171/2015 को किसी भी दीगर उपखंड अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उपखंड अधिकारी नांगल राजाव[illegible]वाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना प[illegible]त तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि उनवानी वाद [illegible] द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तु[illegible] बाद में उपखंड [illegible]री नांगल राजावतान के यहॉ स्थानान्तरित होकर वर्तमान [illegible] विचाराधीन है जि[illegible]रीख पेशी दिनांक 27.5.2024 नियत है। उक्त वाद पत्र में मूल वादी देव्या के निधन होने पर उसके वारिसान कायम मुकामान अप्रार्थी नंबर 1 लगा0 4 उक्त वाद में बतौर वादीगण पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिस्थापित हो चुके है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा गांव में एंलानियां कहा जा रहा है कि उसका भाई सोहनलाल मीना वर्तमान में तहसील नांगल राजावतान में तहसीलदार के पद पर नियुक्त है जिसके माध्यम से उसकी पीठासीन अधिकारी बद्रीप्रसाद मीना से पटरी बैठ गई है तथा उक्त प्रकरण का जल्द से जल्द फैसला उनके हक में होने वाला है तथा वाद पत्र उनके हक में डिक्री होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 व उसके पुत्र को पीठासीन अधिकारी के चैंबर में आते जाते देखा है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशियां दी जा रही है जो पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। पीठासीन अधिकारी आनन फानन में उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थी सं0 1 से 4 के पक्ष में करने पर आमादा है। न्याय का यह भी सिद्धान्त है कि जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रहे तो प्रकरण की सुनवाई वहॉ किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आनन फानन में अप्रार्थी सं0 1 से 4 के पक्ष में करने हेतु आतुर है। ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के समक्ष विचाराधीन वाद पत्र मु0नं0 171/2015 को किसी दीगर सक्षम न्यायालय मे विधिवत सुनवाई करने हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रार्थीगण उक्त मुकदमें का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। मुकदमें को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण येन केन प्रकारेण मुकदमें की कार्यवाही बाधित करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में श्री सोहन लाल मीना तहसीलदार के पद से दिनांक 28.6.2024 को सेवानिवृत्त हो चुके है। साथ ही पीठासीन अधिकारी स्वयं भी उपखंड अधिकारी लवाण के पद पर पदस्थापित है। उपखंड अधिकारी नांगल राजावातन का पर रिक्त होने से अतिरिक्त चार्ज पीठासीन अधिकारी लवाण के पास है। प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस हेतु तारीख पेशी दिनांक 22.7.2024 नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों की विधिवत सुनवाई कर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में असत्य तथ्य अंकित किये गये है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 की दलील है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के यहॉ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 इन्द्राज दुरूस्ती का विचाराधीन है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विचाराधीन वाद की आदेशिका के अवलोकन से भी यह साबित होता है कि उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रकरण में जल्दी तारीख पेशी नहीं दी जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण [illegible] गुणावगुण व दस्तावेजाज एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णित होगा। साथ ही श्री [illegible] तहसीलदार दिनांक 28.6.2024 को सेंवानिवृत्त हो चुके है। अतः प्रार्थी[illegible] द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम जिन तहसीलदार के संबंध में प्रार्थीगण ने कथन किया है वे वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में पीठासीन

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये है उनके समर्थन में कोई दस्जावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जो ि किइस प्रकार है:–

1. दिनांक 24.5.2023 पत्रावली में दिनांक 7.6.2023 वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी जिरह हेतु आदेशित किया गया।
2. दिनांक 7.6.2023– पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 21.6.2023 दी गई।
3. 21.6.2023 पत्रावली वास्त साक्ष्य प्रतिवादी जिरह दिनांक 12.7.2023 आदेशित किया गया।
4. 12.7.2023 साक्ष्य प्रतिवादी उपस्थित न होने के कारण कोस्ट पर आगामी तारीख दिनांक 2.8.2023 दी गई।
5. 2.8.2023 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 14.8.2023 दी गई।
6. 14.8.2023 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 11.9.2023 दी गई।
7. 11.9.2023 पत्रावली में पुनः साक्ष्य जिरह प्रतिवादी दिनांक 27.9.2023 दी गई।
8. 27.9.2023 पत्रावली में साक्ष्य जिरह हेतु अंतिम अवसर 9.10.2023 दी गई।
9. 9.10.2023 दो प्रतिवादी की साक्ष्य जिरह की गई एवं शेष हेतु 25.10.2023 दी गई।
10. 25.10.2023 साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 3 व 4 की की गई एवं प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य और पेश नहीं करने हेतु कहा गया जिस पर साक्ष्य बंद की गई। पत्रावली बहस दिनांक 6.12.2023 को रखी गई।
11. 6.12.2023 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 13.12.2023 दी गई।
12. 13.12.2023 को बहस हेतु आगामी तारीख दिनांक 03.01.2024 दी गई।
13. 03.1.2024 को बहस सुनी गई एवं वास्ते निर्णय दिनांक 22.1.2024 दी गई।
14. 22.1.2024 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 5.2.2024
15. 5.02.2024 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 14.2.2024 दी गई।
16. 14.2.2024 पत्रावली पर आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत बहस सुनी गई। एवं निर्णित किया गया। मूल पत्रावली की आदेश दिनांक 6.3.2024 नियम की गई।
17. 6.3.2024 पर पुनः बहस सुनी गई एवं निर्णय हेतु 11.3.2024 नियत की गई।
18. 11.3.2024 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 27.3.2024 दी गई।
19. 27.3.2024 पत्रावली मे समयाभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी एवं दिनांक 1.5.2024 दी गई।
20. 1.5.2024 पत्रावली पर प्रतिवादी वकील द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर पत्रावंली पर बहस हेतु 8.5.2024 नियत की गई।
21. 8.5.2024 पत्रावली पर पुनः बहस हेतु 15.5.2024 नियत की गई।
22. 15.5.2024 पत्रावली पर वकील वादी द्वारा लि[illegible]ज बहस प्रस्तुत की गई एवं प्रतिवादी वकील द्वारा समय चाहने हेतु वास्ते बहस दिनांक 27.5.2024 नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

7. उपरोक्त पत्रावली की आदेशिता के हमारे समक्ष यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप पत्रावली में प्रतिवादी को (जो इस प्रा0पत्र के प्रार्थी है) को समुचित अवसर दिया जाता रहा है। पत्रावली दिनांक 13.12.2023 से वास्ते बहस रही जिस पर पूर्व में बहस की जा चुकी है किन्तु विभिन्न कारणों से आदेश नहीं लिखा जा सका एवं 1.5.2024 को एवं उसके उपरांत भी प्रतिवादी को पुनः बहस हेतु अवसर प्रदान किये गये है। जहाँ तक प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशियां देने का प्रश्न है प्रकरण वर्ष 2013 में उपखंड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था जो कि वर्ष 2015 में उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को स्थानान्तरित हुआ था। प्रकरण काफी पुराना है एवं वर्तमान में (2023 से)बहस एवं आदेश में लंबित है, अतः जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार तारीख पेशी दी जा रही है इसमें हम कुछ अनुचित नहीं समझते है। प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज किया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान में विचाराधीन प्रकरण उनवानी देव्या बनाम नाथू वगै0 प्रकरण संख्या 71/2015 को दीगर उपखंड अधिकारी को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:48:35 IST
Reason: SelfAttested